UPHR010048402026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2313/2026

1– रमन कुमार पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम गुडेरा थाना अमृतपुर जिला फर्रूखाबाद

2– बीरेन्द्र कुशवाहा पुत्र जब्बर सिंह निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जिला फर्रूखाबाद

----------आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार----------विपक्षी।

दिनांक: 21.07.2026

1– यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण रमन कुमार एवं बीरेन्द्र कुशवाहा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–183/2026 अन्तर्गत धारा–61(2), 336(1), 338, 340(2), 318(4) बी०एन०एस० व धारा 66 डी आई०टी० एक्ट थाना सुरसा जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल न दिए जाने के कारण निरस्त किया जा चुका है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शरद कश्यप की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है कि वह सार्थक फ्यूल्स नायरा मलिहामऊ निकट बौसरा में सैल्समैन के पद पर काम करता है। दिनांक 25.05.2026 को समय लगभग दोपहर 1.00 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो लोग, जिनकी उम्र लगभग 20–22 वर्ष होगी, उसके यहां 600/– का पेट्रोल डलवाया और 6,000/– रूपए उसके यू०पी०आई० नंबर 9696777700 पर भेजकर वादी से कहा कि गलती से 600/– की जगह 6,000/– चले गए, शेष धनराशि नकद प्राप्त कर ली, लेकिन अब उसे पता चला कि उसका खाता फ्रीज हो गया है। उसने धोखाधड़ी से उससे ये रकम ठग ली है। जब उसके खते से लेनदेन होना बंद हो गया तब वह अपने बैंक गया। वहां से उसे जानकारी हुई कि उपरोक्त 6,000/– के कारण उसका खाता बंद हुआ है। जिसका यू०टी०आर० नंबर 077871025887 है।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित घटना में जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम है, जो मौके पर पकड़ लिए गए, बाद में छोड़ दिए गए। कथित घटना में प्रयोग किया गया मोबाइल व सिम आवेदकगण/अभियुक्तगण का नहीं है। उक्त मुकदमे के असल अभियुक्तगणों को राजनीतिक संरक्षण के कारण छोड़ दिया गया तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। कथित घटना की रिपोर्ट

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.22 16:31:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

काफी विलम्ब से सोची समझी साजिश के तहत लिखायी गयी है। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं एक अन्य सह अभियुक्त ने मिलकर Just dial app पर फर्जी मोबाइल नंबर व दस्तावेज के माध्यम से टांसपोर्ट कंपनी की आई०डी० बनाते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा Just dial app पर ट्रांसपोर्ट कंपनी से संबंधित सेल सर्च की जाती है तब Just dial app के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसकी सूचना प्राप्त होती है, जिसके पश्चात अभियुक्तगण उन नंबरों पर फोन कर सस्ते दाम व लुभावने प्रस्ताव देकर बुकिंग एमाउण्ट के नाम पर एडवांस में पेमेण्ट डलवा लेते हैं और गाड़ी भेजने का झूठा बहाना, बेल्टी, आर०टी०ओ० आदि का झांसा देकर ठगी करते हैं तथा ठगी का पैसा मांगने हेतु अलग अलग व्यक्तियों से 10–20 प्रतिशत के कमीशन के आधार पर खाता व सिम कार्ड लेते हैं। ठगी करने के पश्चात पैसा ए०टी०एम०, पेट्रोल पम्प व जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से निकालकर बांट लेते हैं। विवेचना के अनुक्रम में पुलिस द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर आवेदक/अभियुक्त रमन कुमार की अभिरक्षा से 5000/– रूपए नकद, एक अदद मोबाइल वनप्लस कंपनी, एक अदद मोबाइल वीवो कंपनी का एवं आवेदक/अभियुक्त बीरेन्द्र कुशवाहा की अभिरक्षा से 3000/– रूपए नकद, एक अदद मोबाइल फोन आई फोन कंपनी व दूसरा मोबाइल लावा कंपनी का बरामद किए गए। आवेदकगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सह अभियुक्त का एक संगठित सरगना है और उनके द्वारा भिन्न–भिन्न लोगों से ठगी की जा रही है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनपत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता एवं उसमें वर्णित दण्ड को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण रमन कुमार एवं बीरेन्द्र कुशवाहा की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

दिनांकः 21.07.2026